चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 15.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना की एण्टीरोमियों टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 15.10.2024 को आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीम द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा संदिग्ध वाहनों,संदिग्ध व्यक्तियों से पूंछताछ की गयी।

(3). आज दिनाँक 15.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4). आज दिनांक 15.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया। बाद परेड महोदय द्वारा शास्त्रों को खोलवाया गया तथा पुलिस लाइन का भ्रमण कर मैस, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन, आरओआईपी डायल 112, रेडियो कन्ट्रोल रूम,क्वार्टर गार्द,स्टोर रूम का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं उनके हमराही आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह, आरक्षी रविन्द्र कुमार द्वारा मु0अ0सं0 673/2024 धारा 457,380 भादवि0 के वांछित अभियुक्त राजेन्द्र निषाद पुत्र अर्जुन निषाद निवासी टिकुरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस टीम ने महिला के साथ दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि 10.10.2024 को थाना सरधुवा में एक वादिया द्वारा सूचना दी कि राजेश प्रसाद पुत्र रामराज निवासी अमवा बक्टा खुर्द थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट ने करीब एक वर्ष पहले उनके साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया था तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 162/2024 धारा 376,506 भादवि0 बनाम राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा द्वारा मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह को निर्देशित किया गया। निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 15.10.2024 को अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

राजेश प्रसाद पुत्र रामराज निवासी अमवा बक्टा खुर्द थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह थाना सरधुवा

2.आरक्षी नरेन्द्र कुशवाहा

3.आरक्षी मुकद्दर यादव

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस ने कस्बा मऊ में हुयी चोरी की घटना के तीसरे वांछित अभियुक्त को 1400/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री बालमुकुन्द पुत्र उमेशचन्द्र निवासी मवई कलां थाना मऊ हाल पता कस्बा मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि अज्ञात चोरों ने उनके घर का दरवाजा तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व 50 हजार रुपये नगद चोरी कर लिये हैं। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 274/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा घटना के संज्ञान लेकर घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज को निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज तथा उनकी टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी से दिनाँक 22.09.2024 को घटना के 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था तथा तीसरा अभियुक्त फरार चल रहा था। उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज तथा उनकी टीम द्वारा आज दिनांक 15.10.2024 को घटना में सम्मिलित तीसरे अभियुक्त गुड्डू निषाद पुत्र श्रीनाथ गेरुवा मैदाना कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 1400/- रुपये बरामद हुये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

गुड्डू निषाद पुत्र श्रीनाथ गेरुवा मैदाना कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

चोरी के 1400/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज थाना मऊ

2.आरक्षी सोनपाल

3.आरक्षी राहुल पाण्डेय

(8). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

माननीय न्यायालय द्वारा जान से मारने की नियत से हमला कर गंभीर रुप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तो को 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 915/2014 धारा 307/34,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामकृष्ण पुत्र लखनलाल कुशवाहा निवासी शिवरामपुर जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष के कारावास व 05 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 30.11.2014 को वादी जीवनलाल पुत्र बोडा निषाद निवासी शिवरामपुर द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि रामकृष्ण उपरोक्त द्वारा अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी के पुत्र शंकर को प्लाट का काम करवाते समय जान से मारने की नियत से कुल्हाडी मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया और गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 915/2014 धारा 307/34,323,504,506 भादवि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री सुजान सिंह तोमर द्वारा की गयी थी। आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 19.02.015 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था । दिनाँक 09.10.2024 को उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित 02 आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी थी।

(9). जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी एन एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कानून व्यवस्था, अभियोजन एवं महिला अपराधों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने ई- प्रासीक्यूशन पोर्टल पर दैनिक अभियोजन कार्यों की फीडिंग, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता व अभियुक्तों को सजा दिलाए जाने की स्थिति, गिरोह बंद अधिनियम, महिला संबंधी अपराधों, पॉस्को अधिनियम,आपराधिक वादों, सम्मन और वारंट तामीला,आयुध अधिनियम,आर्म्स एक्ट, टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही, आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अराजक/ उपद्रवी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, ओवरलोड परिवहन, अवैध खनन, विषाक्त नशा पत्ती मुक्त से संबंधित प्रवर्तन कार्य, आगामी त्योहारों एवं राष्ट्रीय पर्वों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थ एवं औषधियों पर मिलावट खोरी के नियंत्रण, अवैध टैक्सी, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, अवैध वाहनों के संचालन तथा अवैध वसूली एवं सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, गोवंश बध, दुधारू पशुओं एवं गोवंश के अनाधिकृत परिवहन की घटनाओं, एसिड /तेजाब की दुकानों तथा अवैध विक्रय के नियंत्रण, शांति एवं कानून व्यवस्था, गैंगस्टर एक्ट आदि विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि विद्यालय वाहनों के परमिट तथा वाहन चालक तथा परिचालक की चेकिंग अवश्य कराए इसके लिए सभी विद्यालयों को पत्र भी जारी किया जाए उन्होंने कहा कि जितने शासकीय, प्राइवेट, कस्तूरबा गांधी, आश्रम पद्धति आदि विद्यालयों में छात्रावास है जिनमें छात्राएं निवास कर रही हैं उन क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी रात्रि में गस्त अवश्य करें, उन्होंने थानाध्यक्षों से कहा कि महिला संबंधी अपराधों माफियाओं आर्म्स एक्ट टॉप 10 अपराधियों आदि के खिलाफ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जो वाहन पकड़े गए हैं और वह थाना के सामने सड़कों पर खड़े हैं उनकी तत्काल नीलामी की कार्रवाई सुनिश्चित करें ।उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा खनिज अधिकारी को भी निर्देश दिए कि जो आपके विभाग से संबंधित वाहन है उनका भी निस्तारण कराया जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,उप जिलाधिकारी मऊ श्री सौरभ यादव, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, राजापुर निष्ठा उपाध्याय,जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री पंकज कुमार मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री संतोष कुमार मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री वीके शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्री विवेक शुक्ला, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर मिश्रा, सहायक निदेशक अभियोजन श्री विनोद सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं शासकीय अधिवक्ता, थानाध्यक्ष आदि अधिकारी मौजूद रहे।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 360/2021 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अभिलाष पुत्र शिवचंद्र निवासी ग्राम बिहारा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।